भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-745

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

एसजेवीएन, पीएफसी और एनटीपीसी द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलाप

745. श्री अजय कुमार मंडलः
डॉ. नामदेव किरसानः
डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के लिए स्थान-वार क्या कार्य किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक द्वारा विभिन्न कार्यों पर कितनी निधि व्यय की गई और इनसे स्थान-वार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत निधि के उपयोग के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है कि सीएसआर के अंतर्गत निधि विशेषकर हिमाचल प्रदेश और बहराइच लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के आकांक्षी और पहाड़ी, पिछडे और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में खर्च की जाए;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को एसजेवीएन, पीएफसी और एनटीपीसी द्वारा किए गए सीएसआर संबंधी कार्यकलापों की निगरानी के लिए कोई सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (छ) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत एसजेवीएन, पीएफसी और एनटीपीसी सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत चिन्हित शीर्षों के तहत सीएसआर गतिविधियां करते हैं, जिनमें स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुख पहलों,

बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, पीएम केयर्स फंड में योगदान, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा संस्थानों में योगदान, आपदा प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सीएसआर फंडिंग एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और उद्यम का बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, संबंधित सीपीएसई की सीएसआर नीति, डीपीई दिशानिर्देशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, अनुमोदन करने, निष्पादित करने और निगरानी करने के लिए सक्षम है। सीएसआर गतिविधियां सीपीएसई द्वारा स्वयं या केंद्र/राज्य सरकारों की एजेंसियों/विभाग के माध्यम से की जाती हैं। सरकार एमसीए 21 पोर्टल में कंपनियों द्वारा किए गए खुलासे के माध्यम से सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करती है। सीएसआर गतिविधियों के प्राप्तकर्ताओं और उन पर खर्च की गई धनराशि का राज्य/कार्यान्वयन एजेंसीवार विवरण सीपीएसई की संबंधित वेबसाइटों यानी https://sjvn.nic.in, https://www.pfcindia.com, https://ntpc.co.in और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सीएसआर पोर्टल यानी csr.gov.in पर उपलब्ध कराया जाता है।

****